



YEAR WISE SEAT SANCTIONED

THIS DOCUMENT CONTAINS-

1. 2022-23- ONLINE PORTAL SHOWING BASE SEATS AND ADDITIONAL INTAKE SEPARATELY
2. 2021-22- BASE SEATS AND ADDITIONAL INTAKE SEPARATELY
3. 2020-21, 2019-20 AND 2018-19- ONLINE PORTAL INDICATING **TOTAL SEATS**
4. Statutory Body/University Letter showing Permanent Sanctioned intake for each program

**Neetu
Chawla**

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A9FC4ABD7D2044961528169B
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e67389931e77eb8fa2611
7d32c0e49e38f085e3b19966175f3b118cc,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC282D739E2DBE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

Affiliated to C.C.S. University, Meerut and AKTU, Lucknow
(Approved by NCTE and AICTE)

Campus 1: C-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode-201003 U.P. (India)

Campus 2: A-6 (II), Sector-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode - 201003 U.P. (India)

E-mail: rccvpgcollege10@gmail.com . rccvnaac@gmail.com **Phone No:** 0120-4163604

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2022-23 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to be filled for each college (<https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSIQK2>)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students (<http://antrragging.in/>)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित/जाँच कर लें कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream को लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमें वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

Colleges are requested to download LAW/PG merits again (if downloaded before 30-Oct-2022 7pm)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंकों पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 entries

Search:

Degree	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.A. (NEP)	Arts Group	140	59 / 186	0	14 / 14	236	Open-Merit 1	127 + 0
Additional intake								
Stats								
B.Com. (Hons)	Commerce Group	60	28 / 80	0	6 / 6	80	Open-Merit 1	52 + 0
Additional Intake								
Stats								
B.Com (NEP)	Commerce Group	180	98 / 239	0	17 / 18	286	Open-Merit 1	141 + 1
Additional intake								
Stats								
B.Sc (NEP)	Biology Group	60	17 / 80	0	2 / 6	284	Open-Merit 1	63 + 4
Additional Intake								
Stats								
B.Sc. (NEP)	Mathematics Group	120	122 / 160	0	12 / 12	106	Open-Merit 1	38 + 0
Additional Intake								
Stats								
M.Com.	Commerce	60	9 / 60	0	6 / 6	221	Open-Merit 1	51 + 0
Stats								
M.Sc	Chemistry	60	20 / 60	0	6 / 6	83	Open-Merit 1	40 + 0
Stats								

Degree	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
M.Sc.	Mathematics	60	33 / 60	0	6 / 6	84	Open-Merit 1	27 + 0 Stats
M.Sc.	Zoology	60	10 / 60	0	5 / 6	111	Open-Merit 1	50 + 1 Stats

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous 1 Next

Handwritten signature

Handwritten signature

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
 DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
 pseudonym=A9FC4ABD7D2044961528169B
 7CA3F06,
 2.5.4.20=821c3527e6738993fe77eb8fa2611
 7d320c49e38f885e3b19996175f3b118cd,
 postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
 serialNumber=019fCC2B2D739E2D8EE341F
 078894f92fa23997a3f33803c26eb7fe44c
 9918AE, cn=Neetu Chawla
 Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2022-23 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to to be filled for each college (<https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSiIQK2>)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (<http://antrragging.in/>)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देने समय यह अवश्य सुनिश्चित/जाँच कर ले कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream का लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमें वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका सम्स्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

Colleges are requested to download LAW/PG merits again (if downloaded before 30-Oct-2022 7pm)

R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 entries

Search

Degree	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B C A	Computer Application	120	95 / 160 Additional Intake	0	10 / 12	121	Open-Merit 1	65 + 2 Stats
B Sc. (Home Science)	Home Science	120	138 / 160 Additional Intake	0	12 / 12	43	Open-Merit 1	22 + 0 Stats

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4A8D7D2044961528169B
7LA63F06,
2.5.4.20=821c3527a67389931e77e8fa2611
7d320c89e38f85e3b19966175fbb118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19fCC2B2D739E2DBE341F
978B9AF9CF A23997A3F33803626EB7E44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'



Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2021-22 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to to be filled for each college (<https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSIQK2>)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students (<http://antiragging.in/>)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित/जाँच कर लें कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream का लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमे वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

एतद्वारा समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके पंजीकरण संख्या "21F" से प्रारंभ हो रही है (प्रमोटेड छात्र/छात्रा) की मेधा सूची उनके हाईस्कूल के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी।

Download Entire UG Applicants List (/files/UG_Paid_Unadmitted_Applicants.xlsx)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंकों पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 entries

Search:

Degree	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.A.	Arts Group	140	138 / 186	0	14 / 14	16	Merit	48 + 0 Stats
			Additional Intake					
B.Com.	Commerce Group	180	47 / 239	0	17 / 18	339	Merit	192 + 1 Stats
			ADDITIONAL INTAKE					
B.Sc.	Biology Group	60	22 / 80	0	3 / 6	185	Merit	58 + 3 Stats
			ADDITIONAL INTAKE					
B.Sc.	Mathematics Group	120	112 / 160	0	11 / 12	104	Merit	48 + 1 Stats
M.Com.	Commerce	60	20 / 60	0	6 / 6	242	Merit	40 + 0 Stats
M.Sc.	Chemistry	60	9 / 60	0	5 / 6	76	Merit	51 + 1 Stats
M.Sc.	Mathematics	60	39 / 60	0	6 / 6	107	Merit	21 + 0 Stats

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1 Next

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=CSSE,
pseudonym=A8FC4A8D7D20449615281698
7EA63F0C,
2.5.4.20=821c3527e67389931e77e8842611
7d32c0c49e3f885e3b119966175f3b11ecc
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341/
978B9AF9CAF23997A3F33803626EB7E44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2020-21 Portal

College Helpline number - 9759498729

Form link to be filled for each college (<https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSIIQK2>) |

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (<http://antrragging.in/>) |

Guidelines for EWS/Sports/COVID-19 (/files/PR_01_10_2020.pdf) as per committee meeting on 01-Oct-2020 | Minority colleges must email the list of their minority applications to the admission co-ordinator and ccsu17@gmail.com so that the confirmations may be allowed. |

Important Notice : Please read Notice regarding candidates absent in their last semesters

(/files/PR_29_12_2020_1.pdf) and Guidelines for Back/Absent candidates of final semester (/files/PR_10_01_2021.pdf) regarding verification of COVID-19 special application forms

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें | Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates.

Show 10 entries

BASE SEATS NOT MENTIONED ON PORTAL

Search.

Degree	Subject	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.Com.	Commerce	103 / 320 Additional Intake	0	29 / 32	380	Merit	217 + 3 Stats
B.Sc.	Biology Group	10 / 80 ADDITIONAL INTAKE	0	7 / 8	247	Merit	70 + 1 Stats
B.Sc.	Mathematics Group	81 / 160 ADDITIONAL INTAKE	0	16 / 16	215	Merit	79 + 0 Stats
M.Com.	Commerce	18 / 60	0	5 / 6	224	Merit	42 + 1 Stats
M.Sc.	Chemistry	10 / 60	0	5 / 6	81	Merit	50 + 1 Stats

Showing 1 to 5 of 5 entries

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Perfomance, c=IN, email=CCSU17@CCSU17.ORG, pseudonym=A3FC4807CD2044901528169B7E463F06, 2.5.4.20=821c3527e6738993f677eb8fa26117d32cc49e38f885e3b19966175f5b118cd, postalCode=201002, st=Uttar Pradesh, serialNumber=D19FCC202D739E208EE341F97899AF9E7A23997A3F33803626EB7FE4C9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

Next

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2020-21 Portal

College Helpline number - 9759498729

Form link to to be filled for each college (<https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSiOK2>) |

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students (<http://antraggging.in/>) |

Guidelines for EWS/Sports/COVID-19 (/files/PR_01_10_2020.pdf) as per committee meeting on 01-Oct-2020 | Minority colleges must email the list of their minority applications to the admission co-ordinator and ccsu17@gmail.com so that the confirmations may be allowed. |

Important Notice : Please read Notice regarding candidates absent in their last semesters (/files/PR_29_12_2020_1.pdf) and Guidelines for Back/Absent candidates of final semester (/files/PR_10_01_2021.pdf) regarding verification of COVID-19 special application forms

R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 entries

Search:

Degree	Subject	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.C.A.	Computer Application	89 / 120	0	10 / 12	53	Merit	31 + 2 Stats
B.Sc (Home Science)	Home Science	107 / 120	0	12 / 12	48	Merit	13 + 0 Stats

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Neetu
Chawla

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2019-20 Portal

College Helpline number - 9759498729 | Download EWS Regulations (files/EWS.pdf) | For BALLB / LLB / Nursing colleges may kindly update their BCI, INC recognition status with the affiliation section of the University, for the current session (2019-20), so that their registrations and admissions can be accorded | Form link to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqQnSiIQK2) | Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://anragging.in)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

आवृत्त सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंकों पर क्लिक करें | Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 5 entries

BASE SEATS NOT MENTIONED ON PORTAL

Degree	Subject	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
ADDITIONAL INTAKE							
B.Com	Commerce	59 / 320	0	27 / 32	582	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	261 + 5 Stats
B.Sc.	Biology Group	0 / 80	0	2 / 8	410	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	80 + 6 Stats
ADDITIONAL INTAKE							
B.Sc.	Mathematics Group	49 / 160	0	15 / 16	310	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	111 + 1 Stats
M.Com.	Commerce	0 / 60	0	6 / 6	349	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	60 + 0 Stats
M.Sc.	Chemistry	14 / 60	0	4 / 6	110	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	46 + 2 Stats

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=, o=Personal, title=0850,
pseudonym=ABFC4ABD7D2044961528169B
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c3527e67389931677eb8fa2611
7d32c0c49e38f885e3b19966175f9b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=019fCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE4C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

College Helpline number - 9759498729 | Download EWS Regulations (files/EWS.pdf) | For BALLB / LLB / Nursing colleges may kindly update their BC
INC recognition status with the affiliation section of the University, for the current session (2019-20), so that their registrations and admissions c
be accorded | Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQcSiQK2) |
Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://anirragging.in/)

R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

उत्तर सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंकों पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates.

Show 10 entries

BASE SEAT NOT MENTIONED ON PORTAL

Degree	Subject	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.C.A	Computer Application	79 / 120	0	11 / 12	84	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	41 + 1 Stats
B.Sc. (Home Science)	Home Science	101 / 120	0	12 / 12	50	Merit Open-Merit 1 Rejected Cancelled	19 + 0 Stats

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4ABD7D20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993fe77eb8fa2611
7d32c0c49e38f885e3b19966175f3b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=019fCC2B2D79E2D8EE341F
978B9AF9FA23997A3F33803C26EB7FE44C
991BAE, c=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30



Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Admissions 2018-19 Portal

College Helpline number - 9759498729 | जिन अभ्यर्थियों के पंजीकरण 9-जुलाई-2018 को या इसके बाद हुए हैं और वे महाविद्यालय एवं डिग्री का चुनाव नहीं कर पाए है अथवा जिन अभ्यर्थियों का 11-जुलाई-2018 तक कहीं प्रवेश नहीं हो सका है, उनको अपने महाविद्यालय एवं डिग्री चुनने का अवसर 12-जुलाई-2018 को ओपन मेरिट-2 के माध्यम से अभ्यर्थियों के लॉगिन में दिया जायेगा। Candidates who have registered on or after 9th July, 2018 (and who were not able to choose the college/degree options) alongwith candidate who are still not admitted anywhere by 11-July-2018, will be given an option to choose college/degrees through Open Merit-2 option that will be made available on 12-July-2018 in candidate login.

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates.

स्नातक ओपन मेरिट-1 के दौरान आज (02-जुलाई-2018) अपने आवेदनों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय पहुंचने वाले भारी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण कॉलेजों के लिए ओपन मेरिट -1 मेरिट सूची में संशोधन की जरूरत है। कॉलेजों से अनुरोध है कि वे सबसे अद्यतित अभ्यर्थियों की सूची के लिए 02-जुलाई-2018 सायं 6 बजे के बाद ओपन मेरिट-1 अभ्यर्थियों की ताजा सूची डाउनलोड करें।

Due to overwhelming numbers of candidates reaching university for corrections in their applications today (02-Jul-2018) during the UG Open Merit-1 causing students with offer letters not visible in college portal, the Open Merit-1 merit list for colleges needs revision. Due to this, colleges are requested to download fresh list of Open Merit-1 candidates after 6pm of 2-Jul-2018 for most up-to-date candidate list.

BASE SEAT NOT MENTIONED ON PORTAL

Show 10 ▼ entries

Search:

Degree	Subject	Vacant/Total	Applied	Admitted	Action
B.Com.	Commerce	127 / 320 ADDITIONAL INTAKE	568	193 Stats	Merit Open-Merit 2
B.Sc.	Biology Group	26 / 80	378	54 Stats	Merit Open-Merit 2
B.Sc.	Mathematics Group	91 / 160 ADDITIONAL INTAKE	271	69 Stats	Merit Open-Merit 2

Neetu
Chawla

M.Com. Commerce 48 / 60

260

12

Merit

Open-Merit 2

Stats

M.Sc. Chemistry 34 / 60

66

26

Merit

Open-Merit 2

Stats

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4A8D7D2044961528169B
7EA63F06,
2.5.4.20=B21c3527e6738993fe77eb8fa2611
7d320c49e38f885e3b19966175f9b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2D8EE341F
978B9AF9EFA223997A3F33803626EB7FE44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'



अोगा0प0स0-828/15-11-95-211181/94

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा ॥ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 1995

प्रिय महोदय,

कृपया राम चमेली चव्हा विद्यालयन गर्ल्स डिग्री कालेज,
गाजियाबाद को बी०एस०टी० में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने विषयक
अपने पत्र दिनांक- 26.2.95 का अवलोकन करें ।

2. इस संबंध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि
उ०प्र० राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या- ई-1820/जी०एस०, दिनांक -
23 मार्च, 1995 द्वारा उक्त कालेज को बी०एस०टी० में 1.7.94 से
3।तीन। वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा
चुकी है ।

रजिस्ट्रार,

भवदीय,

दिलीप सहाय ।

श्री बी०बी०लाल,
सेवा निवृत्त, आई०सी०एस०,
63 ए, राजकज,
गाजियाबाद ।

①

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=N, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4ABD7D20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993e77eb8fa2611
7d32c244e3a3f885e3b199661753b116cc,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

4033
दिनांक 17/6/2008

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलसचिव,
गौरी चरण शिव विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,
आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/६७१ दिनांक ४.३.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कदमों का निर्देश हुआ है कि महाप्रमुख कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन राम चमेली चढडा विश्वास गलरी कालेज, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संग्रह के अन्तर्गत बायो एवं गणित पाठ्यक्रम में स्नातक पोषक योजनागत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -- २०५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुरंगत नियमों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षामावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुरंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय
(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. राज्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १६-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. सचिव, राम चमेली चढडा विश्वास गलरी कालेज, गाजियाबाद

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव
Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=In, o=Personal, title=2859,
pseudonym=A8FC4A8D7D20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993e77eb8fa2611
7d320c9e3e3f885e3b19966175f9b116cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9FA23997A3F33803626EB7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

B Com T

दूरभाष : PBX 762021, 22, 24, 763323

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut:

राज्य प्रचारक
राज्य सेवा विद्या विश्वास गर्ल्स कॉलेज,
गाजियाबाद १३०५००

पत्रांक... 744/11/98
दिनांक 26-11-98

विषय: स्नातक स्तर पर बी०काम० विषय में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति जी के विशेषा सचिव से प्राप्त पत्र संख्या ई०-8242/जी०एस० दिनांक 10-11-98 के माध्यम से आपके महा विद्यालय में बी०काम० विषय में दिनांक 01-7-98 से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्न प्रतिबन्ध के साथ अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- 1- विश्वविद्यालय द्वारा सैन्धा से स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये
- 2- विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि महा विद्यालय में बी०काम० विषय में सम्बन्धित पुस्तकें मानक के अनुसार क्रय कर ली गयी हैं।
- 3- सैन्धा की प्रबन्धासमिति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है।
- 4- उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कराने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
- 5- उक्त सम्बद्धता स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नहीं दी गयी है।

उक्त स्वीकृति के आधार पर, कुलपति जी ने संदर्भित पाठ्यक्रम [बी०काम०] में शीघ्र शिकारिक सत्र 1998-99 से एक सैकशन में उक्त शर्तों के साथ ही साथ निम्न प्रतिबन्धों के साथ कक्षाएं आरम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की है:-

- 1- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, उक्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त, प्रवेश नियमावली के अन्तर्गत, आरक्षण सम्बन्धी नीति को दृष्टिगत करते हुये किये जायेंगे।
- 2- प्रवेश प्रक्रिया पत्र प्राप्त से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण की जायेगी।
- 3- शासन द्वारा जारी पत्र संख्या 1281/172-2-98-2(02) दिनांक 24/2/98 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 4- उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों-परिनियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 5- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय भारत महा विद्यालय प्रबन्धासमिति द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

भवदीय,
[Signature]

- प्रतिक्रिया:-
- 1- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 66, विकास विहार, न्यू मोहनपुरी, मेरठ को सूचनाएं प्रेषित।
 - 2- उप कुल सचिव [परीक्षा] को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 3- श्री जे०पी० खन्डपुरी, प्रभारी समिती सैली को सूचनाएं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की विश्वविद्यालय कार्य परिषद को आगामी बैठक में सूचनाएं प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

कुल सचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=RCVGC, ou=Principal, email=neetu@rcvcg.ac.in, c=IN
2.5.4.20=821c3527e6738993f677eb8a26117d32c0c49e3f885e3b19966175f0114cc
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh
serialNumber=D19FC282D739E2D8EE341F9789AF9EF A23997A9F33803626EB7FE4C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.31.12:39:12 +05:30

4034

17/6

कृपया

श्री. कुशाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश

किसके

सम्बन्धित,
किसके विशेष सचिव के कार्यालय,
गोरखपुर

सम्बन्धित

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/3328 दिनांक 20.03.2008 के संबंध में मुझे
बताने का निदेश हुआ है कि महानगर कुशाधिपति महोदय ने उच्चतराज्य वि
अधिनिवम, 2002 की धारा 29(2) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत राम चमेली बचड़ा विश्वास
गर्स कालेज, गाजियाबाद की स्नातक स्तर पर बी. कॉम पाठ्यक्रम में श्ववित्त शोधन योजना-निर्णय
निर्माणावस्था शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 20.03.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति सर्व प्रथम कर दी है

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आशानदेश संख्या 2020/संसार-2-
2002-96 (दर)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 02 में उल्लिखित विधा-निदेशों एवं
समय-समय पर इस विषय में निर्गत आशानदेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा
सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त योजनापालन द्वारा आशानदेश एवं अन्य सुसंगत विधानों
का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
2. शोध संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षणमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित
शर्तों एवं मानकों की पूर्ति एवं उक्तकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो
उच्चतराज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को
प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुशाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्चतर, 20-ए, योग मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, राम चमेली बचड़ा विश्वास गर्स कालेज, गाजियाबाद।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

(राकेश कुमार ओझा)
कुशाधिपति के विशेष सचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Personal, title=SSO,
pseudonym=A8FC4ABD7D204496J5281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993e77eb8fa2611
7d320c49e30885e3b199667759b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B99AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

5

संस्था / जे.एस.

B.C.A.(U) लखनऊ, दिनांक ०१.०९.१९

(पिन कोड नं.-227132)

महोदय

श्री रामविकास/कुलाधिपति के विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

B.Sc
Home

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० एवं बी०एस०सी०(हिम साइंस) विषयों में दिनांक ०१.०९.१९ से तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा ३१.१२.१९ तक मानक के अनुसार निर्धारित भूमि की व्यवस्था कर लेगी। इस आशय का शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित कराके देना होगा।
२. संस्था की प्रबन्ध समिति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
३. संस्था द्वारा निरीक्षण मण्डल के समक्ष अवस्थापना के संबंध में दिए गए आशवासनों को पूर्ण कराये जाने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
४. उक्त सम्बद्धता स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नहीं है।

भवदीय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड) इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज-सी-२२ मेरठ रोड, गाजियाबाद।
५. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla,
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4ABD7D20469615281698
7EAG3F0E,
2.5.4.20=R21c3527e6738993e77e8fa2611
7d32c0c49e38f885e3b19966175f3b116cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=7019fCC2B2D739E2DBEE341E
978B9AF5EF A2397A3F3380362EB7E44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4027
दिनांक : 12.11.2012

सचिव,
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,
गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2887/सत्तर-2-2011-2(217)/2011, दिनांक 23.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाँव को बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान) एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित एवं अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान) एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=ABFC4A8D7D2044961528169B
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c352766738993f677eb8fa2611,
7d320c49e38f85e3b19966175fb118d,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341E
978B9AF9FA23997A3F33803626EB77E44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

पेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/99८ दिनांक १६/२३-१२-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन राम चमेली चढढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- महाविद्यालय समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- शासनादेश संख्या-५१२५/सत्तर-२-२००५(१६६)/२००२ टी०सी० दिनांक २१-१०-२००५ तथा शासनादेश संख्या-५२६७/सत्तर-२-२००५-२(१६६)/२००२-५ टी०सी० दिनांक १६-११-२००५ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा।
- ४- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों का फोटोयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- ५- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- ६- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ७- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


महाविद्यालय उपरोक्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।


भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४६, शान्तिपथ, तिलकनगर, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चढढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।


Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U. P.)


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

Neetu
Chawla

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1910/2006/7877
A P N O 2 1 3 8

Regd./Speed Post

Date:

9 NOV 2006

ORDER

Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector - 22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. Course in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition for **B.Ed. course of One year duration w.e.f. the session 2006-2007** with an annual intake of **100 (One Hundred only)** students to **Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector -22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh** at the following address:-

**Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College,
A-6(II), Sector -22, Meerut, Road,
Ghaziabad, Uttar Pradesh**

3. The institution shall ensure the fulfillment of the following:-

- Selection of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE/State Govt./ Affiliating University given effect before the commencement of the course.
- The institution shall maintain the teaching staff strength of 1+7 for the proposed B.Ed. Course.
- The institution shall note that with regard to NET/SLET requirement, the relaxation is allowed only upto the year 2009-2010 as per NCTE Regulation dt. 21.07.2006.
- The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in the form of FDR in favour of the management/institution.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
- The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- The institution shall regularly update its website.

Contd. 2...

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte.in.org
NCTE

website: <http://www.ncte-in.org>

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

B.Side

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1929
दिनांक : 27.8.2013

सचिव,
राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज,
गाजियाबाद

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1080/सत्तर-2-2010-2 (118)/94; दिनांक 20.07.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. सत्र 2009-10 शून्य होने के कारण छात्र सत्र 2010-11 हेतु आवंटित किये जायेंगे।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव
19/8/13

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (वेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A9FC4A8@D20449015281698,
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527e67389936e77eb8fa2611
7d320c049e29f885e3b19966175f3b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EFA23997A3E33803626EB7E44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

प्रति,

B-61

संख्या-526/सत्तर-2-2006-2(118) अटीओ-11

(16)

आरमा राम वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कुलासिधायी,
जी० धरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लग्नक्र:दिनांक: 17 अप्रैल, 2006

विषय:- राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद की भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक:संख्या/572, दिनांक 07-01-2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5363/सत्तर-2-2004-2(118)/अटीओ-11, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004, जिसके द्वारा राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को 10एड0 पाठ्यक्रम स्वयंसेवक शिक्षा योजना-तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कांतापथ शर्ती के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी है, के प्रस्तर-1 के बिन्दु-9 को विस्तृत करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित अंश को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है:-

उक्त पाठ्यक्रम का संचालन संस्थान द्वारा प्लॉट संख्या-...
इण्डस्ट्रियल एरिया, मेरठ रोड, गाजियाबाद में महाविद्यालय
वर्ग गीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित करने पर यह आदेश स्वीकार्य समझा जायेगा

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-5353/सत्तर-2-2004-2(118)/अटीओ-11, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(आरमा राम वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या-526(1)/सत्तर-2-2006-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) उपाध्यक्ष, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद।
 - (2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-16, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
 - (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 - (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
 - (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरमा राम वर्मा)
अनु सचिव।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC48D7D204499, 2.5.4.20=821c3527e6738993e77eb8a2611
7d32c0c49e3f8f89e3b199661759b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=019fCC2BDD739E2D8E341F
978B9AF9EFA23997A3F33809626E87FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

F. No./NRC/NCTE/UP-1910/2015

8580-85

Date:

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

24 MAY 2015

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/T-3/UP-1910/2006/7873-7882 dated 09.11.2006 with an annual intake of 100 seats w.e.f. the session 2006-2007.

3. AND WHEREAS, the institution Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committee with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committee shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2015-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint already submitted along with the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UOC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2

कार्यालय : चौबीस जिले, जीवन्मित्री, एन.बी.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात
Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Mithri, LIC Building, Ambekar Circle,
Bhawani Singh Marg, Jaipur-302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, M.P., Rajasthan
E-mail: nrc@ncte-india.org

Neetu
Chawla

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Handwritten signature and date: 24/5/15

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=ABFCaAB7D20449615281698
726306...
2.5.4.20=21c527e67289934c77eb6a2611
731320c34e13685e3b1996c175f9b11ecc
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19CC2B2D739E2DBEE341F
97899AF5E1A23997A3F33803626EB7FE4C
991BAC, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, Journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be held responsible for any information furnished to the Regional Director.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order
(Signature)
(Dr. S.K. Chandra)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copies to:

1. The Principal, Ram Chamlil Chadha Vishya Girls P.G. College, A-6(H), Sector-22, Meerut Road, District-Ghaziabad, State - Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200003, Uttar Pradesh.
6. The U.S. (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. ncet@ncet.nic.in file

Regional Director

(Signature)
24/7/16

(Signature)
Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)
Neetu Chawla

(7) B.A
13

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 2988
दिनांक : 12-11-21

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राप्त का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

SAM 2 (486)

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Personal, title=8550,
pseudoDn=ASFC4ABD7D20449615281696
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c352766738993f677eb8fa2611
7d32cc49e38f885e3b19966175f3b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=d19fCC02820739E208E341F
978B9AF9EFA23997AF33303626EB7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

दिनांक: 20/05/2022

दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब 684/2022

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BCOM HONOURS (2022-2023)	BCOM HONOURS

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 "The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संतुष्टि की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से प्रारम्भ कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिबर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।

- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारण की जाएगी।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digital Signatures
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30



M.Sc(T)

दूरभाष : P.B.X. 762021, 22, 24, 763323

चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut.

तथिय,
कुलाधिपति महोदय
राज्यमन्त्रालय,
गुरुदासपुरा

सम्बद्धता/203/1/
पत्रांक
दिनांक 22-06-2000

विषय:- राममैत्री चण्डा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद में विज्ञान संकाय के अर्न्तगत स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान) पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपर्युक्त विषय पर शासन के वन सं. 0-062/तत्तर-2-2000-2/163/99 दिनांक 13-03-2000 के तन्दर्भ में राममैत्री चण्डा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को पोषित संस्था के अर्न्तगत एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान) पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

श्री. कृष्ण, प्राध्यापक एवं अन्य आवश्यक संस्थाओं की परिधि हेतु कृपयति जी ने दिनांक 29-03-2000 को प्रो. एम.एस. गाजियाबाद, तदन्तर्गत कार्यरिष्य के संयोजकत्व में एक निरीक्षक मण्डल का गठन किया। निरीक्षक मण्डल ने संस्था विद्यालय का दिनांक 07-06-2000 स्वम् 12-06-2000 को निरीक्षण कर अपनी आरुधा विचारार्थ प्रस्ताव की है तथा अपरोक्त पाठ्यक्रम को स्वचित्त पोषित संस्था के अर्न्तगत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की है। निरीक्षक मण्डल की आरुधा संलग्नकों सहित संलग्न है।

अपरोक्त निरीक्षक मण्डल की आरुधा स्वम् संस्तुति पर कृपयति जी ने सम्बन्धित विचारोपरान्त कार्यरिष्य की स्वीकृति की परथागा में निरीक्षक मण्डल की आरुधा संस्तुति सहित कुलाधिपति महोदय को अस्तारित करने का निर्णय लिया है।

आप अपरोक्त निरीक्षक मण्डल की आरुधा स्वम् संस्तुति तथा कृपयति जी के निर्णय के अन्तर्गत में आरुधा अस्तारित है कि उक्त संस्था विद्यालय को एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान) पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्न्तगत विद्यालय विनियम 1973 की धारा-37(2) के अन्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता हेतु कुलाधिपति महोदय को स्वीकृति/अनुमति प्रदान कराने की कृपा करें तथा कुलाधिपति महोदय के निर्णय से भी अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर,
संलग्नक : अपरोक्तानुसार ।

(Signature)
Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

भासीय,

श्री. चरण सिंह
कुलाधिपति

- प्रतिक्रिया:-**
1. तथिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, 2000 शासन, गुरुदासपुरा को सादर सूचनाार्थ एवं अपरोक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. प्राध्यापक/तथिय, राममैत्री चण्डा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को सूचनाार्थ प्रेषित।

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
pseudonym=ASFC4ABD7D2044961528169B
7CA63F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993677eb8a2611
79220c49e38f885e3b19966275f3b118cd,
pdf.tal.pdf=20102, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=358C288D793E2D8EE34FC
97899AF9EA2377AF3380362CEB7FE44C
9918AD, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12+05:30

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

रोका में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता ४३३/ दिनांक ३.७.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम.एस.सी.(रसायन) विषय में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

- संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाये अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिवPrincipal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)Neetu
Chawla

M-Se (chen) P

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

17

संख्या-ई.स. 794 / जी.एस.
दिनांक: 23/06 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/36 दिनांक १०/२४-०४-२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में एम०एस-सी० रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इर विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।


Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=N, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC48D7D20449615281696
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993677e88a2611
7832c0c9e33685e3b195661750b11cc,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C
9918AE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3698

दिनांक : 16.11.2017

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 12.08.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

कुलसचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Personal, ou=0050,
pseudonym=A8FC4ABD7D20449615281698
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993fe77eb8fa2611
7d32c0c49e38885e3b19566175f3b118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FC2B2D739E2D8EE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05:30

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1903
दिनांक : 08.07.2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिदमावली/अध्यादेश में उर्ध्वत तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Recd 2773
21-9/7/19

कुलसचिव

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Personal, title=0850,
psduidym=A8FC4ABD7D204496159A1098
7EAG3F06,
2.5.4.20=821c3527e6738993fe77eb8f2611
7d320c49e3f885e3b1996675f3b11ec0
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FC282D739E208EE341F
97899AF5E23997A3F33803626E87FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2987
दिनांक : 12-11-21

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में सम्य-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=In, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4ABD7C20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c352766738993e776e8fa2611
7d32c0c9e38f8e5e3b199661759b118cc,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EFA23997A3F33803626BDFE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18.12:39:12 +05'30'

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3096
दिनांक : 22/8/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
02. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 05.07.2022 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

SAM 2 (645)

Neetu
Chawla

Digitaly signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Ch. Charan Singh University, ou=Meerut, email=neetu@ccsvu.ac.in, postalCode=201002, serialNumber=978989AF9EFA23997A3F33803626E87E44C991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'



TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

F.No. NRC/NCTE/NRCAPP-10467/287th Meeting/2018/195701

Dated: 1/08/2018

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institution had submitted application online on 20.05.2015 to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Course.

AND, WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution in compliance to the decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time the Northern Regional Committee having satisfied itself that the institution fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and the extant Regulations including the Norms and Standards for the proposed Teacher Education course, such as, instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc for running the course and has selected/appointed qualified teaching staff as per norms duly approved by the affiliating body, decided to grant recognition/ permission to the institution in its 287th meeting held from 18th to 20th July, 2018 for M.Ed. course.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following institution for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against its name from the academic session 2019-2020 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014, as amended from time to time, subject to fulfilment of the conditions mentioned below:-

Sl. No.	File No.	Name and address of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-10467	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Land Title A-6(II), Street No. Sector 22, Post Office Guldhar Meerut Road, Town/City - Ghaziabad, Dist. Ghaziabad, (UP) 201003	M.Ed.	2 years	50 (01 unit)	Choudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh

4. The other important details of the institution are as under:-

Name of the Sponsoring Society	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Society
Name and address of the composite institution	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector-22, Meerut Uttar Pradesh
Course being run as a composite institution	B.Ed.
Phone Number / E-mail address of the institution	9999399951/ rccvpgcollege10@gmail.com

5. The institution shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time, and ensure the following before commencement of the session:-

- (i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time

लय: जी-7, सेक्टर-10, (नियर सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन) द्वारका,

Office: G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarka,
K. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

- (ii) The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining-body in terms of Clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- (iii) The institution shall comply with condition laid down in clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 as amended vide Notification on 29.04.2017 which provides as under:
 - An institution, which has been recognised by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency identified by the Council within five years of the date of recognition.
 - All existing Teacher Education Institutions which have not been accredited so far or have not been accredited within five years from the date of its recognition shall be required to get themselves accredited by the aforesaid accrediting agency within a period of one year from the date of notification of these Regulations.
 - The accreditation once obtained shall be valid for a period of five years and the recognised and already accredited Teacher Education Institutions shall be required to get accreditation renewed by the agency identified for the purpose by the Council before the lapse of the earlier accreditation.
- (iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- (v) The Norms for teaching staff in respect of their qualifications and experience shall be as per provisions of NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time.

6. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable, and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution:-

- (i) The affiliating body/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents submitted by the institution, with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 before grant of affiliation to the institution.
- (ii) The affiliating body shall ensure that the institution is a composite institution as per definition of a "composite institution" given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution is not a composite institution, the recognition granted shall be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, the existing stand-alone institutions shall gradually move towards becoming composite institutions.
- (iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake, at any stage, the recognitions granted shall be treated as withdrawn, and the sole responsibility of the same will be of the institution.

- 7. The institution shall submit a Self-Appraisal Report to the Regional Committee at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant
- 8. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and display as mandatory disclosure the following:-

- (i) Copy of Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition Order
- (v) Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for U.P.

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Personal, title=0850,
pseudonym=A8FC4ABD7D20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3527667389936776b8fa2611
1782320c49e338f85e3b199561759b116cd,
PostalCode=203002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D176CC2B2D739E2DBEE341F
978B9AF9EF A23997A3F33803626E7FE44C
991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

In case if the land is in the


- 10. The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and ac by the MHRD.
- 11. The Institution shall fill the GIS Application within one month from the date of issue of this order.
- 12. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules & Regulations, the Regional Committee shall withdraw recognition under provisions of Section 17(1) of the Act, 1993.
- 13. Further, if the institution is not satisfied with the Order, it may prefer an Appeal under Section 13 of NCTE Act, 1993 through "online mode" available on NCTE's website www.ncte-india.org within 60 days from date of issue of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website

By Order
 (Satish Chandra)
 Regional Director

The Manager
 Govt. of India Press
 Department of Publications (Gazette Section)
 Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Principal, Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Plot No. Nil, Street No. - Sector 22, Village- Nil, Post Office- Guldhar Meerut Road, Tehsil/Taluka-0, Town/City- Ghaziabad, District- Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh, Pin Code- 201002	
2. The Manager/Secretary, Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Society, Plot No. A-6(II), Sector 22, Street No.- Meerut Road, Village- Ghaziabad, Post Office- Guldhar Meerut Road Ghaziabad, Tehsil/Taluka- Ghaziabad, Town/City-Ghaziabad, District- Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh, Pin Code- 201002	
3. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Ground Floor, Room No. 2, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.	With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above by the institution.
4. The Registrar, Choudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh	1. With a request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also to ensure that the admissions are made by the institution as per size of the unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.


 Principal
 R. C. V. Girls College
 Ghaziabad (U.P.)



25

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

संख्या: CHARANUNI/संव/288/2022

दिनांक: 26/05/2022

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

10 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 संव 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की मति (दिनांक: 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD PG स्तर पर

Course Name

Subject Name

MASTER OF SCIENCE (2022-2023)

ZOOLOGY

प्रोग्राम में स्विकृत/प्रवेश/उत्तात्तरगत दिनांक: 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जायेगी:-

संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30** The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

सूची में जिन संस्थान/महाविद्यालयों के सम्बन्धित सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा संचालन करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से स्पष्ट हो गत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के प्राचार्य एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की पूर्ति निरन्तर पूरी कर रहा है।

यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में उल्लिखित या शासनादेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन/मानकों की पूर्णता तथा उनका निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उक्त प्रपत्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्त अनुपालन सम्पन्न करने सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

Principal
Ghaziabad (U.P.)

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: cn=Neetu Chawla, o=Chaudhary Charan Singh University, email=neetu@ccsu.ac.in, c=IN
pseudoDn: A8FC48D7D204496152816987EA63F06
2.5.4.20=821c3527e6738993e77eb8a26117d320c49e38f885e3b1996175f3b118cd
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh
serialNumber=0196CC2B2D739E2D8E341F978B9AF9FA23997A3F33803626EB7FE44C991BAE, cn=Neetu Chawla
Date: 2023.10.18 12:39:12 +05'30'

26

शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

का संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते त, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

लेपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

जी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

शेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ०प्र० शासन, लखनऊ।


त्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghaziabad मण्डल,

बन्धक, RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD को इस आशय से प्रेषित है सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

रीक्षा नियंत्रक, RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD, Ghaziabad

सचिव कार्यालय।

सम्बन्धित पत्रावली।


कुल सचिव
22/12/12

Neetu
Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN, o=Parsons and the-0350,
pseudonym=ABF0A5D7D20449615281698
7EA63F06,
2.5.4.20=821c3520389931e72ebfa2611
7d320c49e38f8e3e31996675930118cd,
postalCode=201002, st=Uttar Pradesh,
serialNumber=D1200C2B2D739E2D8E341F
0782E1E2A23500F3380360E87E144C
Neetu Chawla
2012.12.20 12:05:30